IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1400 of 2024

DEVENDRA FAUJDAR **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH **RESPONDENT**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Status Report On Behalf Of Respondent – District Magistrate, Mathura, Uttar Pradesh (U.P.) with affidavit	1-20
2.	**ANNEXURE P/1:-** True copy of report dated 30.10.2025 of the Divisional Forest Officer, Mathura	21-22
3.	**ANNEXURE P/2:-** A true copy of the Khatauni khata No. 00151 pertaining to Plot No. 710/2	23-34
4.	**ANNEXURE P/3:-** True copy of the inspection report	35-38
5.	**ANNEXURE P/4:-** True copy of, FIR No. 0341/2024 dated 22.11.2024	39-45
6.	**ANNEXURE P/5:-** True copy of charge-sheet dated 02.01.2025	46-63

Date:17/02/2026 **THROUGH**

Priyanka

Place: New Delhi

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel For State of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi
110014

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1400 of 2024

DEVENDRA FAUJDAR **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH **RESPONDENT**

STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT– DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA, UTTAR PRADESH (U.P.)

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The present consolidated reply is filed on behalf of Respondent, State of U.P., through the District Magistrate, Mathura, in compliance with the orders of this Hon'ble Tribunal dated 29.08.2025 and 20.11.2025. The Respondents submit that all directions of the Tribunal have been scrupulously complied with, and the factual position has been thoroughly ascertained by competent authorities. The documents collected are annexed as true copies for the Tribunal's reference.

2. That the present report is being submitted in compliance with the directions issued by the competent authority vide letter No.

1056/Minerals/Illegal Mining/Transportation/2025–2026 dated 21.01.2026, and in further compliance with the order dated 29.08.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the above-mentioned Original Application, whereby allegations were raised by the applicant Shri Devendra Faujdar regarding alleged illegal excavation/mining from land claimed by him.

3. That it is respectfully submitted that the aforesaid communication dated 21.01.2026 records that the applicant Shri Devendra Faujdar had made a complaint alleging excavation of soil from land claimed to be owned by him, and it was further noted that due to waterlogging during the rainy season, measurement and verification of the land could not be undertaken at that time. It was therefore directed that after dissipation of waterlogging and normalization of site conditions, the concerned authorities shall undertake proper demarcation, physical verification, and assessment of the actual status of excavation at the site and submit a clear and factual report before the competent authority, and consequently before the Hon'ble Tribunal.

4. That in compliance with the aforesaid directions and restricting strictly to the allegations raised by the applicant in his complaint, a

comprehensive exercise involving archival record verification as well as physical on-site inspection was undertaken by the competent Revenue Authorities in coordination with the Mining Department, in order to ascertain the factual position, determine accountability, and verify whether any illegal mining or unauthorized excavation had taken place from the land claimed by the applicant.

5. The Original Application alleges two principal grievances: (a) wilful uprooting of over a hundred fruit trees on the applicant's agricultural land (located in TT-Zone) by private parties, and (b) illegal sand mining ("अवैध उत्खनन") from the public road (Chakrord) abutting the applicant's land. The applicant has filed objections to the earlier replies of the District Magistrate, Mathura (Mining Department), the Divisional Forest Officer (Mathura), and the Uttar Pradesh Police. This reply addresses each objection in detail under separate heads. The facts, documents, and responses are presented below.

6. That applicant's Objection Item No. 1: "*आवेदक ने अपने निजी बगीचा जो टी०टी० जैड० क्षेत्रान्तर्गत आता है, में से प्रतिपक्षीगण द्वारा चुनावी रंजिश के कारण 100 से अधिक पेड़ो को न सिर्फ उखाड़ा गया है बल्कि सम्पत्ति से सटे चकरोड से भी रेत का अवैध उत्खनन किया है।*"

a) The Respondents deny any illegality. The incidents have been fully investigated by the Forest and Mining Departments in conjunction with the Revenue authorities, and all material facts are on record.

b) The Forest Department has already complied with this Hon'ble Tribunal's directions. A detailed report dated 30.10.2025 of the Divisional Forest Officer, Mathura was filed in this Tribunal, disclosing the exact number, species and diameter of each tree felled, the persons responsible, and the action taken against them. This report was based on a thorough four-member inquiry and spot inspection. In addition, a compliance affidavit dated 27.05.2025 (filed on behalf of the District Magistrate, DFO Mathura, and the forest department) contains complete particulars as directed. Far from being "vague" or "misleading" as alleged by the applicant, these submissions comprehensively comply with the Tribunal's order. All trees have been accounted for in those reports. Routine patrolling by forest staff was also undertaken, and the timber was seized and logged in FIRs as a result of this action. Thus, the objection that the forest reports are incomplete or misleading is wholly untenable. **True copy of report dated**

30.10.2025 of the Divisional Forest Officer, Mathura is attached herewith and marked as Annexure P/1

c) That with respect to the sand mining allegation, the investigation by the Mining and Revenue Departments conclusively shows that no soil was excavated from the applicant's private land (Khasra No. 710/2). The official *Khatauni Khata No. 00151* of revenue village Singapatti (showing Plot No. 710/2) is jointly held by Shri Devendra Faujdar and Shri Dinesh Singh. On 11.02.2026, a joint team of revenue and mining officials visited the site and conducted a full survey. They found that Plot No. 698A (0.951 ha) is *recorded government land* used as a public road, and Plot No. 699 is recorded as a drain (nala) running between the road and the applicant's land. A mud-and-brick road was constructed there in the public interest (District Panchayat fund). **A true copy of the Khatauni khata No. 00151 pertaining to Plot No. 710/2 is attached herewith and marked as Annexure P/2**

d) That during this survey, it was observed that soil had been moved only within the government land (Plot 698A and the drain 699). Specifically, road soil from Plot 698A (width -2m)

was lifted and re-deposited on the road, and soil (-2m wide) was taken from the drain (Plot 699) and placed onto the road portion of 698A. At no point was any soil lifted from Plot 710/2. Thus, the site inspection report confirms that the earth movement was confined to public lands and the applicant's land remained intact. In view of these findings, the allegation of illegal excavation from the applicant's property is completely baseless. In fact, the land (Plots 698A and 699) where activity occurred is infrastructure for road work undertaken for public utility. Consequently, no case of illegal mining or unauthorized extraction arises as far as Khasra No. 710/2 is concerned, and the applicant's agricultural land and environment are unaffected. **True copy of the inspection report is attached herewith and marked as Annexure P/3**

e) The Forest Department has duly reported the tree-felling incidents and initiated action; the Mining Department's inspection demonstrates no mining of the applicant's land. The respondents have discharged their duties by registering FIRs and charge-sheets and protecting the environment. The

grievances raised under Objection No.1 are therefore not substantiated by the facts or records.

7. That in regard with the applicant's Objection Items Nos. 2 & 3: *"माननीय न्यायधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के तहत नोटिस जारी करके प्रतिवादीगण को शपथपत्र के माध्यम से जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया और प्रतिवादी संख्या-07 डी.एफ.ओ. मथुरा को उखाड़े गये पेड़ो की संख्या और प्रकृति का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था।"....."जिला वन अधिकारी की रिपोर्ट जो पूरी तरह से अस्पष्ट है... अतः रिपोर्ट अधूरी व भ्रामक है।"*

a) These objections pertain solely to the forest department's compliance. The Respondents submit that these objections are completely unfounded. As noted, the DFO's detailed report dated 30.10.2025 (Annexure P/2) has already been placed on record, fully enumerating the number, species and dimensions of each felled tree and identifying the perpetrators. The report was filed with an affidavit (dated 24.04.2025) after a field inquiry. In addition, a combined compliance affidavit (filed on 27.05.2025) provided by the District Magistrate, Mathura and the forest authorities furnishes all particulars as ordered. The specific allegations of vagueness or omission are therefore

baseless – the forest report and affidavits are elaborate and *point-wise* as required by the Tribunal.

b) That moreover, the forest officials acted with full diligence. Upon receipt of information, they conducted an on-site investigation, registered H2 cases, lodged FIRs and seized the timber. These cases have since been filed in Court (ACJM-I, Mathura) and are under judicial consideration. There is no failure or concealment. Routine patrolling was also carried out and legal action taken at each stage. In sum, every requisite step prescribed by law was taken by the forest authorities, and their report is neither "incomplete" nor "misleading." The objections in Items 2 and 3 are therefore denied.

8. That in regard with the applicant's Objection Item No. 4: "*अवैध मृदा उत्खनन के मुद्दे पर प्रतिवादीगण का उत्तर अस्पष्ट व अपूर्ण है... O.A. संख्या-556/2023 में पारित आदेश... पर्यावरण और भूमि की कृषि उपयोगिता की अपूर्णीय क्षति होना जाहिर किया गया है।*"

a) The Respondents submit that this objection likewise lacks merit. The question of illegal excavation has already been fully addressed above under Objection 1. As set out, the joint site inspection and revenue records conclusively show that no soil

was excavated from the applicant's land (Khasra 710/2). Soil movements occurred only on Plot 698A (government road) and Plot 699 (drain). The Mining Department's investigation confirms this beyond doubt. Since no excavation took place on the applicant's property, no mining permission or portal-access was needed, and the land's agricultural utility remains unimpaired. The assertion of "irreparable damage" is factually unfounded.

b) That the Police Department has no role in permitting excavation – its role is to assist enforcement when required. In any event, the mining activity in question is confined to public land; thus, the police have no occasion to act under mining statutes. The police have cooperated fully as needed. In case of any apprehension of illegal mining, police aid is promptly provided to the Mining or Revenue Department. Here, no violation of environmental or mining laws occurred on the applicant's land, and there is therefore no "illegality" for the police to prevent. The objection's legal references (e.g. Mine-Mitra portal, 100 m^3 limit, prerequisites for DM's permission) are inapplicable since no unauthorized extraction took place. Accordingly, Objection 4 is denied.

9. That in regard with the applicant's Objection Item No. 5: "*आवेदक की भूमि के किनारे लगाये गये पेड़ो की जड़ो को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि को स्थायी नुकसान हुआ है... कृषि योग्य भूमि के स्वरूप को नष्ट किया जाना कहा गया है।*"

a) This objection reiterates the claim of soil removal and damage to the applicant's field, relying on certain measurements and photographs. The Respondents refer once again to the joint inspection findings. As already explained, the only soil movement observed was within the government road and drain, not from Plot 710/2. No soil was lifted from the applicant's land (Khasra 710/2). Therefore the allegation that the applicant's land or tree roots suffered any damage is factually incorrect. The photographs and measurements offered by the applicant appear to have been taken on the road/ditch area, not on his private field. In short, no excavation of the applicant's farmland occurred, and his agricultural land remains unaffected. This objection too must fail.

10. That in regard with the applicant's Objection Items Nos. 6 & 7**:** *"प्रतिवादी संख्या-05 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा प्रतिवादी संख्या-09 के तथ्यों का गलत रूप से समर्थन किया गया है... प्रतिवादी संख्या-09 को पेड़ो की अवैध कटाई और मिट्टी की खुदाई में संलिप्तता से दोषमुक्त नही किया जा सकता है।"....“आवेदक ने जिलाधिकारी मथुरा के समक्ष दिनांक 21.12.2024 को जिस प्रतिवादी संख्या-09 की शिकायत करी थी उसे पुलिस द्वारा बचाने का प्रयास किया गया... उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट का गवाह बना दिया गया।"*

a) These objections relate to the tree-felling case and allege police bias in favor of "Respondent No.9" (Chiranjilal Gola). The Respondents submit that the allegations of shielding any person are completely unfounded.

b) That on 22.11.2024, an FIR No. 0341/2024 was registered at PS Magorra by Kushpal, Forest Guard, Mathura, against five accused persons (Ravindra, Satveer alias Sattu, Netrapal, Pushpendra, Digambar) for uprooting and covering live trees in the Chakrod area. The FIR documents the species and number of trees seized (Neem, Peepal, Poplar, Jamun, etc). Witness statements (Form 4) were recorded: notably, witness Chandrabhan (uncle of the applicant) stated that the contractor (Defendant No.9) was not at the site, and that the

accused had brought a JCB without permission and uprooted the trees for a trench contract awarded later. Other local witnesses corroborated that Respondent No.9 had no involvement. **True copy of, FIR No. 0341/2024 dated 22.11.2024 is attached herewith and marked as Annexure P/4**

c) The investigating officer also served notice (Form 5) on Chiranjilal Gola (Def.9), who submitted a work order dated 12.12.2024 – after the tree-felling date of 21.11.2024. Chiranjilal himself admitted that at the time of the incident he had no approved contract, and that the accused forcibly cut trees without permission. All accused persons cooperated with police (Form 6), and sufficient evidence was collected (site inspection, recoveries, admissions).

d) As a result, a charge-sheet was filed on 02.01.2025 (Charge-sheet No.312/2025) under Section 4/10 of the UP Rural Trees Protection Act. All procedural steps (examination by prosecution, submission to court) were duly completed. Thus, the police did not "exonerate" Respondent 9; rather, they found no evidence of his involvement in the offence and placed the actual culprits in the dock. No unfair or arbitrary

act was committed – the case is now pending adjudication in the Hon'ble Court. In these circumstances, the allegations that the police "protected" anyone or made a culprit into a witness are baseless. **True copy of charge-sheet dated 02.01.2025 is attached herewith and marked as Annexure P/5**

e) The Mining/DM office reiterates that no soil was excavated from the applicant's land. The portion of Objections 6–7 concerning illegal mining is answered as above: since no mining occurred on Khasra 710/2, there is no question of any illegal "excavation" or damage to the applicant's land. Thus, the Applicant's claims on this point lack any factual foundation.

f) That finally, the respondents note that the objection's statement "respondent no.9 has been made witness in H2 case" is categorically false. The record shows no such act.

g) That the police have acted promptly and impartially: FIR, investigations and charge-sheet filings are on record. Respondent No.9 was neither accused nor protected – in fact, he had no role in the tree-felling. All proper legal steps were taken against the real offenders. The objections accusing the

police of bias or concealment are thus without substance and must be dismissed.

11. That in regard with the applicant's Objection Items Nos. 8–11 (Nos. 08, 09, 10, 11): *"जे०सी०बी० प्रतिवादी संख्या-09 की थी स्थल पर काम करते हुए अवैध खनन में उसकी संलिप्तता है... प्रतिवादी संख्या-09 के उत्तर के अनुसार यह स्वीकृत तथ्य है कि कार्यदेश दिनांक 15.12.2024 को प्राप्त हुआ जबकि अवैध वृक्ष कटाई व मिट्टी उत्खनन की घटनाएं दिनांक 21.11.2024 को है..."*

a) These objections continue the accusation against Respondent No.9 (Chiranjilal) regarding the tree-felling and purported illegal mining. Once again, the Respondents submit that the allegations are unfounded. The police report dated 30.10.2025 (Annexure P/8) addresses these points in detail. As noted, FIR No.0341/2024 (22.11.2024) was filed immediately by a forest guard based on information received. Investigations confirmed that the JCB and felling occurred on 21.11.2024, whereas the work order to Respondent 9 was dated 12.12.2024 – clearly after the offence. Witnesses (including the applicant's own relative) stated that the accused acted on their own initiative for the road work, and that Respondent 9 was not present at the scene. The SP

Mathura's report and police findings thus reflect the true sequence: the contract was awarded after the event, which contradicts the applicant's claim of premeditated collusion with Respondent 9.

b) In summary, the police investigation thoroughly examined the JCB's involvement and found no role of Respondent 9. All accused were charged and a proper case is pending in court. There is no "cover-up" or "mistake" in verification; instead, the official record demonstrates that the crime occurred independently of Respondent 9's later contract. These objections are therefore also devoid of merit and should be rejected.

c) In light of the foregoing, the Respondents submit that all allegations made by the applicant have been investigated on record, and no illegal activity on the applicant's land has been found. The joint site inspection and revenue records establish that the soil movements occurred solely on government land, and the applicant's land (Plot No.710/2) remains unaffected. The Forest Department and Police have taken appropriate actions in the tree-felling matter (FIRs, H2 cases, charge-

sheets). The reports and affidavits already filed are complete and in compliance with the Tribunal's directions.

12. That in regard to Objection Item No. 13, wherein it has been alleged that *"प्रतिवादी प्राधिकारी पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्य में विफल रहे है और उनके द्वारा अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की पूर्ण अवेलहना की गयी है।"*, the said allegation is emphatically denied as being unfounded, misconceived and contrary to the record.

a) That immediately upon receipt of the applicant's complaint, prompt statutory action was initiated by the competent authorities. The Forest Department registered an F.I.R., issued Forest Offence Reports (H-2 Cases), seized the felled timber and initiated criminal proceedings. Complaint cases arising out of the Forest Offence Reports have been duly filed before the Hon'ble ACJM-I, Mathura. Upon completion of investigation, the Police Department has also filed a charge-sheet before the competent criminal court. Thus, due punitive action has already been undertaken in accordance with law and the matter is presently sub judice.

b) That in respect of the allegation of illegal excavation/mining, the Mining Department, in coordination with the Revenue

Department, conducted a joint on-site inspection and demarcation based strictly on revenue records. The joint inspection conclusively established that the road is recorded as Khata No. 698A (government land) and Plot No. 699 is recorded as a drain (nala). Soil movement was confined exclusively to the said government land, wherein soil was adjusted and placed upon the road itself for public utility purposes. No soil whatsoever was excavated or lifted from the applicant's land bearing Plot No. 710/2.

c) That the inspection further confirmed that the applicant's land has neither been subjected to illegal mining nor suffered any disturbance. The agricultural character and environmental integrity of Plot No. 710/2 remain intact. The construction of the government drain on government land has been undertaken in public interest and does not constitute illegal extraction.

d) That the respondent authorities have acted strictly in discharge of their statutory and constitutional obligations to protect and preserve the environment. Far from neglecting environmental safeguards, the concerned departments have registered criminal cases, conducted inspections, verified

records, and ensured legal proceedings against the actual offenders. The Respondents respectfully submit that they shall continue to comply with any further directions issued by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.

13. That accordingly, the Applicant's objections are answered pointwise above. No case of illegal mining or unauthorized excavation on the Applicant's land is made out, and all procedural requirements for tree-felling cases have been satisfied. The Respondents stand ready to comply with any further orders of this Hon'ble Tribunal.

Through

Respondent – D.M Mathura, U.P

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1400/2024

IN MATTER OF :-

DEVENDRA FAUJDAR **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS **RESPONDENTS**

AFFIDAVIT

I, Sushil Kumar Singh, S/O Rama Singh, aged about 56 years, presently posted as Sub-Divisional Forest Officer, Mathura, U.P., presently at New Delhi do hereby solemnly affirm and State on oath as under:

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit on behalf of Respondent No. 4, 7 & 8 as authorised by District Magistrate, a Mathura.
2. That the accompanying Reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.
4. That the Deponent will continue to extend his full cooperation and shall abide by any further directions that the Hon'ble Tribunal may issue.

DEPONENT

VERIFICATION

20 FEB 2026

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this _____ day of __________ 2026, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

D1447610
I identified the deponent who has signed in my presence

DEPONENT

The Seal of Notary Public ★ Appointed by Govt. of India ★
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17306/2019
My Commission Expire on 23/12/2029

ATTESTED
NOTARY PUBLIC (INDIA)

20 FEB 2026

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी,सा0वा0,वन प्रभाग,मथुरा।

पत्रांक 208/35-3 मथुरा, दिनांक 30/10/.2025.

सेवा में,

जिला खनन अधिकारी,
मथुरा।

विषय :– मथुरा जनपद में दिनांक 21.11.2024 व दिनांक 08.12.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापटटी तह0 गोवर्ध में हुये अवैध पातन/अवैध खनन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल मूल आवेदन सं0–1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम स्टेट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1–कार्यालय जिलाधिकारी महोदय मथुरा का कार्यालय आदेश पत्रांक सं0–1144/35–3 दिनांक 08.09.2025 (संलग्न)
2–कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा की पत्र सं0–1273/35–3 दिनांक 17.09.2025 (संलग्न)

उक्त मूल आवेदन सं0–1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 में निम्न निर्देश दिये गये है–

"1. The reply on behalf of the respondent no. 6 dated 18.08.2025 and the objections dated 27.08.2025 on behalf of the applicant have been filed.
2. The Learned Counsel appearing for the State of Uttar Pradesh seeks two weeks' time to examine the objections.
3. List for hearing on 20.11.2025."

उक्त मूल आवेदन सं0–1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालन में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर दिनांक 24.04.2025 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा द्वारा अनुपालन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष दाखिल की गयी एवं दिनांक 27.05.2025 को प्रतिवादी सं0–04, 07 व 08 की ओर से प्रतिशपथ पत्र मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल किया गया है।

उक्त प्रकरण में याची देवेन्द्र फौजदार द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दिनांक 27.08.2025 को आपत्ति दर्ज की गयी है, जिसे श्रीमती प्रियंका स्वामी, स्थाई अधिवक्ता मा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.08.2025 ई–मेल के माध्यम से भेजा गया जिसकी प्रति **संलग्न** है।

उक्त प्रकरण में याची द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष दायर उक्त आपत्तियॉ निम्न विभागों से सम्बन्धित हैं–(1–राजस्व विभाग (जिलाधिकारी महोदय प्रतिवादी सं0–4) 2–खनन विभाग (जिला खनन अधिकारी प्रतिवादी नहीं) 3–प्रदूषण विभाग (क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड मथुरा प्रतिवादी सं0–2) 4–वन विभाग (प्रभागीय निदेशक सा0वा0वन प्रभाग मथुरा प्रतिवादी सं0–7) 5–उ0प्र0 पुलिस विभाग (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा प्रतिवादी सं0–5)

श्रीमती प्रियंका स्वामी, अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ई–मेल दिनांक 29.08.2025 में उल्लिखित है कि– "Request you to do the needful and respond specifically to the

soil excavation issue raised by the applicant." जिससे स्पष्ट है कि उक्त आपत्तियों में मुख्यतः आपत्ति मृदा खनन (जिला खनन अधिकारी,मथुरा) से सम्बन्धित है। उक्त वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 20.11.2025 नियत है। उक्त में 02 सप्ताह में जवाव दाखिल किया जाना अपेक्षित है।

चूँकि अधिवक्ता मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रेषित ई–मेल के अनुसार उपरोक्त मूल आवेदन सं0–1400/2024 में वादी द्वारा दाखिल आपत्तियॉ मुख्यतः खनन से सम्बन्धित है, तत्क्रम में **कार्यालय जिलाधिकारी महोदय मथुरा के उक्त संदर्भित कार्यालय आदेश पत्र दिनांकित 08.09.2025 से जिला खनन अधिकारी को सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर राज्य की ओर से समेकित प्रतिशपथ पत्र 02 सप्ताह में दाखिल कराने हेतु अधिकृत किया गया है।**

उक्त के संदर्भ में प्रतिवादी सं0–7 (प्रभागीय निदेशक सा0वा0वन प्रभाग मथुरा) से सम्बन्धित आपत्ति बिन्दुओं पर विभागीय **आख्या आलेख संलग्न** कर आपको इस अपेक्षा से प्रेषित है कि जिलाधिकारी महोदय के उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार राज्य की ओर से समेकित **प्रतिशपथ पत्र मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में नियत दिनांक 20.11.2025 से पूर्व दाखिल कराने का कष्ट करें।**

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मथुरा।

पत्रांक / दिनांकित ।

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मथुरा।

146 C.C.Letter(dal chand)

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) /
प्रभारी अधिकारी खनिज
मथुरा।

विषयः **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 1400 / 2024 श्री देवेन्द्र फौजदार बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उक्त विषयक अपने पत्रांक 1056 / खनिज / अवैध खनन / परिवहन / 2025–2026 दिनांक 21.01.2026 के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें देवेन्द्र फौजदार द्वारा जिस भूमि को अपनी जाहिर करते हुए उत्खनन होने की शिकायत की गयी है, में वर्षात के दिनों में पानी भर जाने के कारण पैमाइश नही हो सकी थी। अतः पानी सूख जाने पर प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में उत्खनन की वास्तविक स्थिति एवं स्थल का आंकलन कर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

आवेदक श्री देवेन्द्र फौजदार के शिकायती पत्र के कथनों तक सीमित रहते हुए आवेदक की भूमि में जाहिर अवैध खनन के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष जबाव देही प्रस्तुत करने के अनुक्रम में **अभिलेखीय** एवं **स्थलीय निरीक्षण** के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या निम्नवत् हैः–

1– यह कि राजस्व ग्राम सींगापट्टी के **अभिलेखानुसार** गाटा संख्या 710 / 2 से सम्बन्धित खतौनी **खाता संख्या 00151 श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी एटा एवं श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र श्री बदन सिंह** निवासी श्योबा दर्ज है। **खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।**

2– यह कि राजस्व टीम एवं खनन विभाग द्वारा **दिनांक 11.02.2026** को मौके पर जाकर संयुक्त रूप से प्रश्नगत स्थल की भौतिक सत्यापन / निरीक्षण / पैमाइश कर उत्खनन की वास्तविक स्थिति एवं स्थल का आंकलन किया गया।

3– यह कि **स्थलीय निरीक्षण में पाया कि–** राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज **गाटा संख्या 698क रकवा 0.951 है0** सरकारी भूमि है, इस रास्ता दर्ज भूमि गाटा संख्या 698क तथा याची की भूमि गाटा संख्या 710 / 2 के मध्य नाली दर्ज गाटा संख्या 699 स्थापित है। **इस प्रकार** याची के कृषि भूमि के पश्चिम् ओर सटी हुई नाली है तथा नाली के पश्चात् रास्ता दर्ज गाटा संख्या 698क की भूमि है। **ग्राम सींगापट्टी में उक्त रास्ता दर्ज गाटा संख्या 698क पर मिट्टी व ईट का खंरजा जिला पंचायत निधि से निर्माण कराया गया है।**

4– मौके पर जाकर संयुक्त रूप से प्रश्नगत स्थल की **पैमाइश की गयी तो पाया कि–** उक्त रास्ता दर्ज गाटा संख्या 698क पर, जो मिट्टी डाली गयी है, वह रास्ता गाटा संख्या 698क में से 02 मीटर चौड़ाई में रास्ते की मिट्टी को रास्ते में ही डाला गया है तथा नाली दर्ज गाटा संख्या 699 में से 02 मीटर चौड़ाई में मिट्टी उठाकर रास्ते पर डाली गयी है। इस प्रकार याची श्री देवेन्द्र फौजदार के गाटा संख्या 710 / 2 पर से कोई मिट्टी का उठान / खनन नही किया गया है।

5– यह कि उपरोक्तानुसार जिस रास्ता दर्ज गाटा संख्या 698क तथा नाली दर्ज गाटा संख्या 699 से मिट्टी उठाकर रास्ता दर्ज गाटा संख्या 698क में डाली गयी है। **इस प्रकार** याची श्री देवेन्द्र फौजदार का गाटा संख्या 710 / 2 की मिट्टी न तो प्रभावित हुई है और न ही उसकी भूमि में अवैध उत्खनन होना ही पाया गया है। वर्तमान में मौके पर उक्त सरकारी भूमि पर सरकारी खंरजा जनहित में निर्मित हो चुका है, जो जनहित में उपयोगित है।

~~आख्या~~ महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(शिवचरन)	(सुरेन्द्र सिंघल)	(अक्षय कुमार)	(सुशील कुमार गुप्ता)	(प्रजाक्ता त्रिपाठी)
क्षेत्रीय लेखपाल,	राजस्व निरीक्षक,	खान निरीक्षक,	तहसीलदार	उपजिलाधिकारी,
ग्राम सींगापटटी।	सौख।	मथुरा।	गोवर्धन	गोवर्धन।

नजरी नक्शा 1089

गांव - रसींगांयपुरी   तहसील - गोवर्धन   जिला - मथुरा

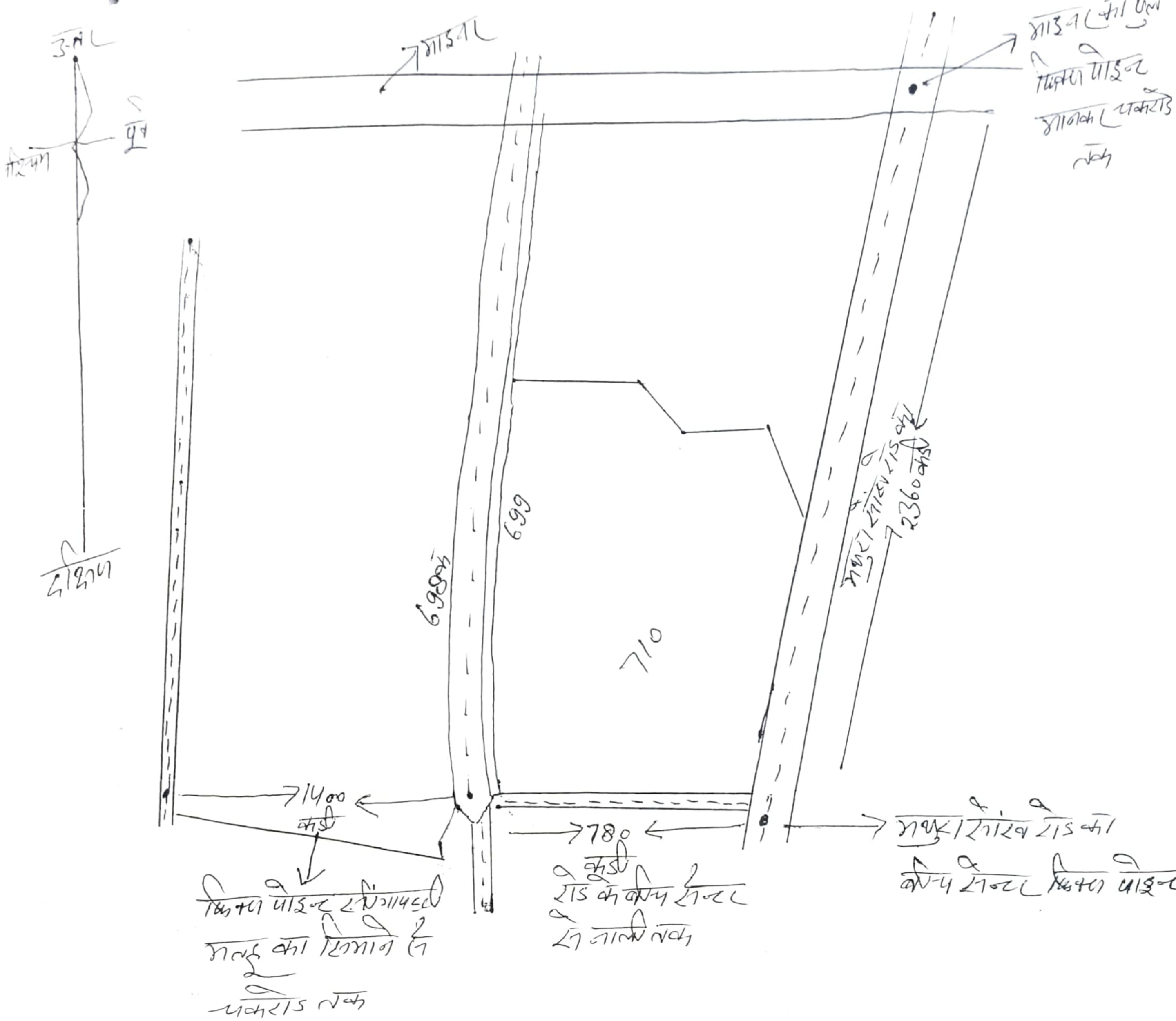

(signature)
11-2-26

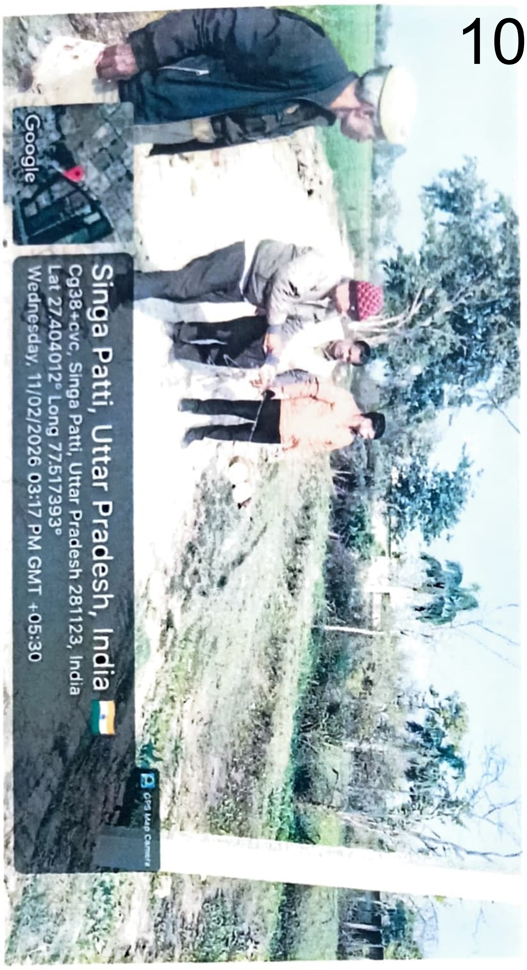
Google
Singa Patti, Uttar Pradesh, India
Cg38+cvc, Singa Patti, Uttar Pradesh 281123, India
Lat 27.404012° Long 77.517393°
Wednesday, 11/02/2026 03:17 PM GMT +05:30
GPS Map Camera

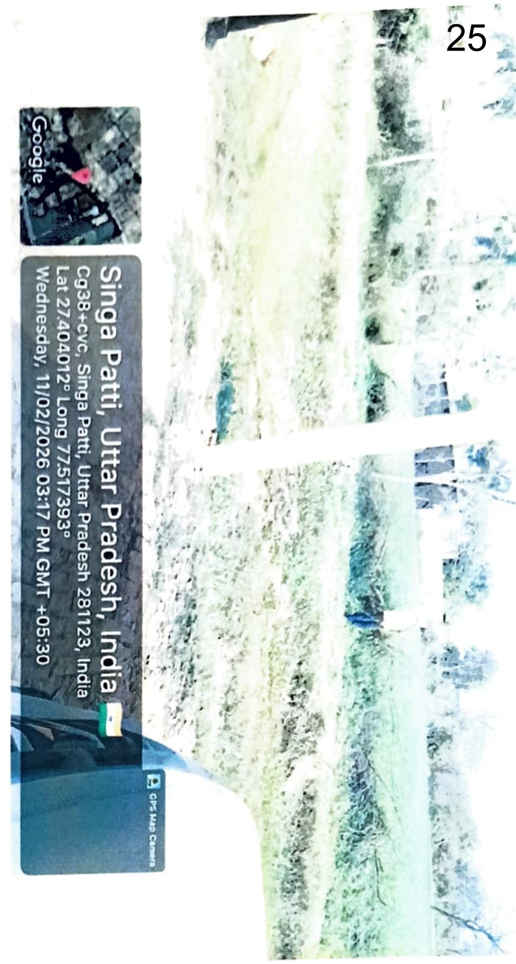
Google
Singa Patti, Uttar Pradesh, India
Cg38+cvc, Singa Patti, Uttar Pradesh 281123, India
Lat 27.404012° Long 77.517393°
Wednesday, 11/02/2026 03:17 PM GMT +05:30
GPS Map Camera

1091

खसरा

ग्राम रसूलगढ़ी .... परगना .... तहसील गोवर्धन .... जिला मथुरा .... सन् 1430 फसली

खेती की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टे० में या बन्दी बस्ती बीघा में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदारों का नाम (यदि कोई हो)	साधन सिंचाई और कूएं	कृषक फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल — खरीफ — फसल का नाम	खरीफ — सींचा हुआ	खरीफ — असींचा हुआ	रबी — फसल का नाम	रबी — सींचा हुआ	रबी — असींचा हुआ	जायद — फसल का नाम	जायद — सींचा हुआ	जायद — असींचा हुआ	क्षेत्रफल दो फसली — सींचा हुआ	क्षेत्रफल दो फसली — असींचा हुआ	मिलान खसरा के स्तम्भों के अनुसार आकृषिक (बिना फसल वाली भूमि का ब्यौरा) — भूमि की श्रेणी	मिलान खसरा … — क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे खड़े हुये वृक्षों की किस्म और संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
690/2	1.348	229	दिनेश सिंह, देवेन्द्र पुत्रगण चौधरी	X	नलकूप नियमानुसार सरकारी कार्य हेतु लेखपाल 15-9-25	धान	0.260	-	गेहूं	0.260	-	-	-	-	-	-	-	-	अमरूद 50 अर्जुन 10 आंवला 20 नीबू 10 करौंदा 10

JUPITER गोकुलचन्द प्रकाशचन्द कागजी, छत्ता बाजार, मथुरा. फोन 9412627136

अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

1092

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124253202509366

ग्राम क्रमांक : 124253 | ग्राम का नाम (परगना) : सीगा पट्टी(कोसीखुर्द) | तहसील : गोवर्धन | जनपद : मथुरा | फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) | भाग : 1 | (1)खाता संख्या : 00151

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
710/2	1) दिनेश सिंह / अर्जुन सिंह / निवासी 223 उदी इटावा 2) देवेन्द्र फौजदार / बदन सिंह / नि. ग्राम स्यौबा	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202501500602151 / 19-03-2025 / दुरस्ती (संशोधन से) 2) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202301500600094 / 27-02-2023 / विक्रय 3) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202401500601332 / 29-04-2025 / विक्रय		710/2(1242530710100212)	1.3490	1) - 2) -	1) 0.3795 2) 0.9695	34.75
							1.3490	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 1.3490 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 34.75 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (1.3490)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

1093

1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202501500602151 / 19-03-2025 / दुरुस्ती (संशोधन से) / Mathura Prasad / 27-03-2025 2) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) T202301500600094 / 27-02-2023 / विक्रय / SURENDRA KUMAR / 08-05-2025 3) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) T202401500601332 / 29-04-2025 / विक्रय / SURENDRA KUMAR / 08-05-2025	1.1) देवेन्द्रसिंह / बदनसिंह / नि. ग्राम स्यौबा (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 2.1) देवेन्द्र फौजदार / बदन सिंह / नि. ग्राम स्यौबा (शेष क्षेत्रफल : 0.9695) 3.1) वीरेन्द्र सिंह / धनीराम / निवासी प्लाट नं0 893 गणेश नगर मेंन निवारू रोड झोतवारा जयपुर राज0 (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 3.2) हर्ष कुमार गुप्ता / अशोक कुमार गुप्ता / निवासी बी0 160 साकेत कालौनी आदर्श पुलिस स्टेशन के पीछे जयपुर राज0 (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	710/2(124253071000212)	1.1) 1.3490 2.1) 0.3795 3.1) 0.1898 3.2) 0.1897	1.1) देवेन्द्र फौजदार / बदन सिंह / नि. ग्राम स्यौबा 2.1) वीरेन्द्र सिंह / धनीराम / निवासी प्लाट नं0 893 गणेश नगर मेंन निवारू रोड झोतवारा जयपुर राज0 2.2) हर्ष कुमार गुप्ता / अशोक कुमार गुप्ता / निवासी बी0 160 साकेत कालौनी आदर्श पुलिस स्टेशन के पीछे जयपुर राज0 3.1) दिनेश सिंह / अर्जुन सिंह / निवासी 223 उदी इटावा	710/2(124253071000212)	1.1) 1.3490 2.1) 0.1898 2.2) 0.1897 3.1) 0.3795

1) कृपिक से अकृपिक (धारा 80) : 1425 फ0 व आदेश श्रीमान न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी गोवर्धन मथुरा वाद सं0 13/2017-18 T 20181500600064 आदेश दिनांक 24.01.2018 प्राप्त दिनांक 01.02.2018 देवेन्द्र सिंह बनाम् उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धार 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 मौजा सीगापटटी तहसील गोवर्धन मथुरा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2018 पर श्रीमान तहसीलदार महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक 29.01.2018 के क्रम में मौजा सीगापटटी के खाता सं0 127 के खसरा सं0 710/2 रकवा 1.349 हे0 में से रकवा 0.1296 हे0 भूराजस्व 60खा के अनुसार के भूमिधर खातेदार देवेन्द्र सिंह पुत्र बदनसिंह निवासी ग्राम स्यौवा भाग सीगापटटी तहसील गोवर्धन जिला मथुरा की उक्त भूमि रकबा 0.1296 हे0 को तहसीलदार गोवर्धन की संस्तुति आख्या दिनांक 20.01.2018 के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषित घोषित किया जाता हैं। कि यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होता पाया जाता हैं तो कृषि भूमि मानकर भूराजस्व इत्यादि योजित कर दिया जायेगा। तहसीलदार गोवर्धन की रिपोर्ट आदेश का अंश रहेगी। ह0र0का0 01.02.2018 (डिजिटल हस्ताक्षर : Mathura Prasad / 07-11-2023)

2) स्थगन : 1432 फ0 व आदेश श्रीमान न्या0 तहसीलदार गोवर्धन वाद संख्या 4122/2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202501500604122 आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुसार न्यायहित में मौजा सीगापटटी खतौनी के खाता सं0 151 खसरा सं0 710/2 रकवा 1.349 हे0 माल0 60ख पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 28.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। ह0र0का0 24.05.2025........24.05.2025 (डिजिटल हस्ताक्षर : SURENDRA KUMAR / 24-05-2025)

3) स्थगन : 1432 फ0 व आदेश श्रीमान न्या0 तहसीलदार गोवर्धन वाद संख्या 4122/2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202501500604122 आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुसार न्यायहित में मौजा सीगापटटी खतौनी के खाता सं0 151 खसरा सं0 710/2 रकवा 1.349 हे0 माल0 60ख पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 28.04.2025 का

1094

... स्थगित किया जाता है। ...दिश का अमल हो। पत्रावली वास्ते अमित दिनांक 28.05.2025 को पेश हो। ह0र0 ...0 24.05.2025........24.05.2025 (डिजिटल हस्ताक्षर : SURENDRA KUMAR / 24-05-2025)

(17)... के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1425 फ0 व आदेश श्रीमान न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी गोवर्धन मथुरा वाद सं0 13/2017-18 T 20181500600064 आदेश दिनांक 24.01.2018 प्राप्त दिनांक 01.02.2018 देवेन्द्र सिंह बनाम् उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धार 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 मौजा सीगापटटी तहसील गोवर्धन मथुरा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2018 पर श्रीमान तहसीलदार महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक 29.01.2018 के क्रम में मौजा सीगापटटी के खाता सं0 127 के खसरा सं0 710/2 रकबा 1.349 हे0 में से रकबा 0.1296 हे0 भूराजस्व 60खा के अनुसार के भूमिधर खातेदार देवेन्द्र सिंह पुत्र बदनसिंह निवासी ग्राम स्यौवा भाग सीगापटटी तहसील गोवर्धन जिला मथुरा की उक्त भूमि रकबा 0.1296 हे0 को तहसीलदार गोवर्धन की संस्तुति आख्या दिनांक 20.01.2018 के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषित घोषित किया जाता हैं। किन्तु यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होता पाया जाता हैं तो कृषि भूमि मानकर भूराजस्व इत्यादि योजित कर दिया जायेगा। तहसीलदार गोवर्धन की रिपोर्ट आदेश का अंश रहा। ह0र0का0 01.02.2018

2) 1430 फ0 व आदेश श्रीमान न्या0 तहसीलदार गोवर्धन वाद सं0 319 TG रजि0 सं0 T202301500600094 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार खाता सं0 151 खसरा संख्या 710/2 रकवा 1.3490 हे0 मालगुजारी 60ख अनुसार के अपने यथोचित भाग में से रकवा 0.3795 हे0 से विक्रेता देवेन्द्र सिंह उर्फ देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह निवासी श्योबा भाग सीगापटटी तहसील गोवर्धन जिला मथुरा का नाम खारिज होकर क्रेता बीरेन्द्र सिंह पुत्र धनीराम निवासी प्लाट नं0 893 गणेश नगर मेन निवारू रोड झोतवारा जयपुर राज0 व हर्ष कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी बी 160 साकेत कालौनी आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के पीछे जयपुर राज0 का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 22.04.2021 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। ह0र0का0 27.02.2023........06.03.2023

Data Digitally Signed by:SURENDRA KUMAR(REVENUE INSPECTOR OFFICE) दिनाँक/समय/स्थान: 15-09-2025 02:52:23 तहसील : गोवर्धन यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : MATHURA PRASAD तहसील : गोवर्धन मुद्रित दिनांक एवं समय: 15-09-2025 02:52:23 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	

1095

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124253202509369

ग्राम क्रमांक : 124253 | ग्राम का नाम (परगना) : सींगा पट्टी(कोसीखुर्द) | तहसील : गोवर्धन | जनपद : मथुरा | फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) | भाग : 1 | (1)खाता संख्या : 00531

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
				698क(1242530698200262)	0.9510	1) 1/1	1) 0.9510	
698क	1) रास्ता / --- / ---						0.9510	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.9510 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.9510)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		698क(1242530698200262)			698क(1242530698200262)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

1096

...बंधक/... ...का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (... ...बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

...वं आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:Arvind Kumar(INCHARGE RK) दिनांक/समय/स्थान: 18-09-2025 03:06:23 तहसील : गोवर्धन यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : MATHURA PRASAD तहसील : गोवर्धन मुद्रित दिनांक एवं समय: 18-09-2025 03:06:23 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	

1097

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124253202509370

ग्राम क्रमांक : 124253 | ग्राम का नाम (परगना) : सीगा पट्टी(कोसीखुर्द) | तहसील : गोवर्धन | जनपद : मथुरा | फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) | भाग : 1 | (1)खाता संख्या : 00521

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
699	1) नाली / --- / ---			699(124253069900061)	0.1650	1) 1/1	1) 0.1650	
							0.1650	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1650 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1650)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		699(124253069900061)			699(124253069900061)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(19)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) व.आ.श्रीमान उपस.च.मथुरा के सन्दर्भ स.87/ 24.3.94 धारा 48 मे आदेश हुआ की खा. 413 मे निम्न परिवर्तन हो दियागया 976. 14द. 877 .002उ. SD. 29.9.94

2) व.आ.श्रीमान उपस. च.मथुरा मु.न.957 /20.9.94 धारा 29(2) मे आदेश हुआ की नवीन गा. स. 594/135 जो पुराने गा.स.287मि./.135 से च.स्थान से खारिज होकर नाली मे दर्ज किया जाता है ह.ले.29.9.94

Data Digitally Signed by:Arvind Kumar(INCHARGE RK) दिनांक/समय स्थान: 18-09-2025 03:06:36 तहसील : गोवर्धन यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : MATHURA PRASAD तहसील : गोवर्धन मुद्रित दिनांक एवं समय: 18-09-2025 03:06:36 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	

1098

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1056 /खनिज/अवैध खनन/परिवहन/2025–2026 दिनांक 21 जनवरी, 2026

1. उपजिलाधिकारी गोवर्धन।
2. खान निरीक्षक मथुरा।

विषयः **मानयीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम् उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 602/खनिज/अवैध खनन/परिवहन/2025–2026 दिनांक 10.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम् उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के अनुपालन हेतु याची श्री देवेन्द्र फौजदार के दिनांक रहित शिकायती प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों तक सीमित रहते हुए याची की भूमि में हुए अवैध खनन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में खान निरीक्षक मथुरा द्वारा दिनांक 17.11.2025 को अवगत कराया गया था कि आवेदक श्री देवेन्द्र फौजदार द्वारा जिस भूमि में उत्खनन हुआ, उस स्थान को अपनी भूमि जाहिर किया जा रहा है, इसी भूमि से सटी हुई नाली तथा रास्ता दर्ज सरकारी भूमि है, प्रश्नगत स्थल माइनर से निकट होने तथा इसके आसपास की जमीन की अपेक्षा प्राकृतिक रूप से नीचा होने के कारण बरसात के दिनों में पानी भर गया है जो अभी पूरी तरह से सूखा नही है, जिसके कारण स्थल की भौतिक रूप से उपस्थित होकर पैमाइश कर उत्खनन की वास्तविक स्थिति एवं स्थल का आंकलन किया जाना सम्भव नही है।

तत्क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत स्थल का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन/पैमाइश कर उत्खनन की वास्तविक स्थिति एवं स्थल का आंकलन कर सुस्पष्ट आख्या तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। प्रकरण **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली** से सम्बन्धित होने के कारण प्राथकिता पर कार्यवाही अमल में लायी जाये।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
/प्रभारी अधिकारी खनिज
मथुरा

थाना–मगोर्रा, मथुरा।
दिनांक 30–10–2025

सेवा में,

खान निरीक्षक,
मथुरा।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29–8–2025 का अनुपालन किया जाना।

संदर्भ संख्या : पत्रांक 629/खनिज/अवैध खनन/परिवहन/2025–26 दिनांक 18–9–2025।
पत्रांक 689/खनिज/अवैध खनन/परिवहन/2025–26 दिनांक 10–10–2025।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के उक्त विषयक प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित अपने पत्र संख्या 629 दिनांक 18–9–2025 एवं पत्र संख्या 689 दिनांक 10–10–2025 के अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त संदर्भित पत्रों में इस आशय का कथन किया गया है कि– ''वादी देवेन्द्र फौजदार द्वारा माननीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 27–8–2025 को आपत्ति दर्ज की गयी है, आपत्ति के अनुक्रम में श्रीमती प्रियंका स्वामी अधिवक्ता, माननीय एन0जी0टी0 के प्रेषित ई–मेल दिनांक 28–9–2025 में उल्लिखित है कि–**"Request you to do the needfull and respond specifically to soil excaveation issue raised by the applicant."** इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा दाखिल आपत्तियाँ मुख्यतः खनन से सम्बन्धित होने के कारण राज्य की ओर से समेकित शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये हैं।''

उपरोक्त के कम में माननीय एन0जी0टी0 के समक्ष समेकित शपथपत्र नियमानुसार प्रस्तुत किये जाने हेतु पुलिस विभाग से सम्बन्धित आपत्तियों/बिन्दुओं पर विभागीय आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री देवेन्द्र फौजदार द्वारा माननीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 27–8–2025 **की मद संख्या– 04 व 06, 07 व 09, 10, 11 में पुलिस विभाग का उल्लेख किया गया है।** **अतः** स्थानीय पुलिस विभाग की ओर से इन आपत्तियों के सापेक्ष विभागीय आख्या निम्नवत् है:–

1– यह कि **आपत्ति की मद संख्या–04** में याची देवेन्द्र फौजदार द्वारा **इस आशय की आपत्ति की गई है कि**–अवैध मृदा उत्खनन के प्रकरण में वैधानिक प्रकिया के अनुसार यदि किसी किसान या व्यक्ति को उत्खनन की आवश्यकता है तो उसे 100 घनमीटर तक के लिए वैध तरीके से ''माइन मित्र पोर्टल'' पर पंजीकरण के बाद खनन करने का अधिकार है। **यह कहा गया है कि–** भूविज्ञान और खनन विभाग ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी उत्ख़नन के दौरान कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अवैध खनन रोकने के लिए मौजूद रहेगें, इस तथ्य पर प्रतिवादीगण की रिपोर्ट मौन है जो रिपोर्ट की विश्वसनीयता को कम करती है और विफलता दर्शाती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभागीय आख्या निम्नवत् है :–

ए– यह कि **जहॉ तक मिट्टी के अवैध खनन का मामला है इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि–** इस बावत पुलिस विभाग की कोई भूमिका नही रहती है **बल्कि** किस खसरा नम्बर से

मिटटी का अवैध खनन हुआ है ? हुआ भी है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा अलग–अलग अथवा संयुक्त रुप से प्राप्त आख्या से खनन विभाग यह निर्धारित करते हैं कि अमुक खसरा नम्बर की भूमि पर अवैध खनन हुआ है अथवा नहीं । **इस प्रकार** पुलिस विभाग के विरूद्ध याची की आपत्ति सही नही है।

बी– यह कि अवैध खनन के मामले में खनन विभाग अथवा राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही के दौरान आवश्यकता जाहिर करने पर, तत्काल बिना देरी किये पुलिस सहायता प्रदान की जाती है **एवं** प्रत्यक्ष तौर पर यदि कोई अवैध खनन का प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। वस्तुतः इस प्रकरण में खनन बावत कोई निष्कर्ष अद्यतन अप्राप्त है।

2– यह कि **आपत्ति की मद संख्या–06** में याची द्वारा **इस आशय की आपत्ति की गई है कि–**प्रतिवादी संख्या–09 चिरंजीलाल गोला के दावों का प्रतिवादी संख्या 05 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के जबाब में गलत तौर से समर्थन किया गया है और लिया गया तर्क पूरी तरह अप्रांसगिक है और प्रतिवादी संख्या 09 को पेडों की कटाई और मिटटी की खुदाई में उनकी संलिप्तता से दोषमुक्त नही किया जा सकता।

3– यह कि **आपत्ति की मद संख्या–07** में याची द्वारा **इस आशय की आपत्ति की गई है कि–**आवेदक ने उक्त अवैधानिक कृत्यों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट को विधिवत् शिकायत की थी हॉलाकि पुलिस विभाग ने प्रतिवादी संख्या 09 के इस कथन को स्वीकार करके बचने का प्रयास किया गया है कि यह कार्यादेश प्राप्त करने के बाद वह सड़क निर्माण में लगा था यह बेहद संदिग्ध और अजीब है कि पुलिस ने उसे आरोपी बनाने के बजाय एफ0आई0आर0 का गवाह बनाया जबकि उस पर मिटटी खुदाई का आरोप था। उल्लघंनकर्ता को गवाह बनाने का जानबूझकर किया गया कदम मनमाना और गैर कानूनी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभागीय आख्या निम्नवत् है :–

ए– यह कि थाना अभिलेखानुसार थाना मगोर्रा पर प्रार्थी कुशपाल वनरक्षक गोवर्धन रैन्ज प्रभाग मथुरा द्वारा एफ0आई0आर0 संख्या–0341/दिनांक 22–11–2024 को 1– रविन्द्र 2– सतवीर उर्फ सत्तो 3–नेत्रपाल 4– पुष्पेन्द्र 5– दिगम्बर इस आशय से पंजीकृत कराया गया कि–मय हमराह राधेश्याम वनरक्षक के साथ दिनांक 21–11–2024 को समय 10:40 पी0एम0 पहुँचे तो चकरोड़ के किनारे पर हरे पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गई तो 09 पेड़ नीम 01 पेड़ पीपल, 06 पेड़ पोपूलर, 01 पेड़ जामुन 01 पेड़ पापड़ी, 01 पेड़ शीशम, 05 पेड़ जूलीफ्लोरा, 01 पेड़ अर्जुन तथा 27 पेड़ नीबू , 22 पेड़ करोंजा, पेड़–पौधे उखडे मिले। इन पेड़ों की गोलाई व्यास वर्ग का उल्लेख करते हुये बरामद लकड़ी को गॉव के चन्द्रभान पुत्र भॅवर सिंह, की सुपुर्दगी में दे दिया गया। उक्त व्यक्तियों द्वारा "उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976" की धारा 4/10 तथा "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल संख्या 13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 8–5–2015/ताज ट्रिपोजियम जोन" की अवमानना के तहत अपराध किया गया है अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाये। **एफ0आई0आर0 संख्या–0341/दिनांक 22–11–2024 की छायाप्रति संलग्नक–01 है।**

बी– यह कि **पर्चा–04 के अनुसार–** विवेचना के क्रम मे घटनास्थल, गवाहान की कार्यवाही के लिए सम्बन्धित को धारा–190 के नोटिस तामील कराये गये हैं। **गवाह चन्द्रभान निवासी स्योबा** जो इसी याची देवेन्द्र फौजदार का चाचा है, के द्वारा इस आशय का ब्यान दिया गया कि–प्रश्नगत चकरोड़ पर प्रस्तावित खंरजा का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह द्वारा कराया गया था जिसका ठेका चिरंजीलाल गोला को होने वाला था परन्तु ठेका होने से पहले ही हमारे गॉव के पास गॉव भदार के निवासी– रविन्द्र तथा गॉव के पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र, नेत्रपाल, सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश एवं दिगम्बर सिंह के हाथ मिलकर राजनीति की हनक दिखाते हुये बिना विभाग की परमीशन के जे0सी0बी0 मंगाकर चकरोड़ की हद में हरे भरे पेड़ों को

जे0सी0बी0 से उखाड़कर चकरोड पर मिट्टी डाल दी जिसकी सूचना मैने अपने भतीजे देवेन्द्र फौजदार को दी उसने वन विभाग के माध्यम से कार्यवाही करायी है। ब्यान वासदेव, सिंह, वेदप्रकाश एवं रामगोपाल निवासीगण स्योबा के ब्यान भी अंकित किये गये है जिनके अनुसार प्रतिवादी सं0 09 की कोई संलिप्तता पेड़ों के नुकसान में नही पायी गयी है। **पर्चा –04 की छायाप्रति संलग्नक–02 है।**

सी– यह कि **पर्चा–05 के अनुसार–** विवेचक द्वारा चिरंजीलाल गोला के नाम भी नोटिस अन्तर्गत धारा 190 प्रेषित किया गया है उसके द्वारा कार्यादेश दिनांक 12–2–2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसकी नकल की गयी है। इस प्रकार पेड़ काटने की घटना दिनांक 21–11–2024 की है जबकि प्रतिवादी सं0 09 को ठेका दिनांक 12–12–2024 को प्राप्त हुआ है। चिरंजीलाल ने इस आशय का ब्यान दिया है कि कथित घटना के समय यह क्लीयर भी नही था कि इस कार्य का ठेका मुझे ही मिलेगा। लेकिन मुझे पता चला है कि आपसी राजनीति से कुछ व्यक्तियों ने जबरदस्ती पेडों को बिना वन विभाग की परमीशन से उखड़वा दिया गया हैं। **पर्चा 05 की छायाप्रति संलग्नक–03 है।**

डी– यह कि **पर्चा–06 के अनुसार–** सभी नामजद अभियुक्तों रविन्द्र तथा गॉव के पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र, नेत्रपाल, सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश एवं दिगम्बर सिंह थाना हाजा पर उपस्थित हुये विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के बारे में बताया तो कहने लगे कि–साहब हमें इस मुकदमें की पूरी जानकारी है हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। **इस प्रकार** गॉव के उपरोक्त गवाहों तथा ठेकेदार द्वारा दिये गये ब्यान और अभिलेख तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं भी स्वीकार कर लिये जाने के कारण जे0सी0बी0 आदि के सम्बन्ध में अन्य विवरण प्राप्त करने का कोई औचित्य अवसर विवेचक को प्रतीत न होने पर विवेचक द्वारा दौरान विवेचना ब्यान वादी, ब्यान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण 1– रविन्द्र 2– सतवीर उर्फ सत्तो 3–नेत्रपाल 4– पुष्पेन्द्र 5– दिगम्बर के विरूद्व जुर्म धारा 4/10 "उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है अतः अभियुक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 312/2025 **दिनांक 2–1–2025** माननीय न्यायालय प्रेषित करते हुये अनुरोध किया गया है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें। **इस प्रकार** स्पष्ट है कि थाना मगोर्रा द्वारा इस प्रकरण में वन विभाग द्वारा पंजीकृत कराई एफ0आई0आर0 के अनुक्रम में नियमानुसार विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है, किसी भी अभियुक्त को बचाने का कोई अनुचित व मनमाना एवं गैर कानूनी कृत्य नही किया गया है। **वस्तुतः** इस प्रकरण का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः याची देवेन्द्र फौजदार द्वारा की गई उपरोक्त दोनों आपत्तियॉ सही नही है। **आरोप पत्र दिनांक 2–1–2025 की छायाप्रति संलग्नक–04 है।**

उपरोक्तानुसार आरोप पत्र को संयुक्त निदेशक, अभियोजन एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा परीक्षित कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है जिस पर अग्रेतर कार्यवाही एवं प्रकरण का न्यायिक निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः याची द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये सभी आधार सही नही हैं।

4– यह कि **आपत्ति की मद संख्या–09, 10 व 11 में याची द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई है कि–**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा की रिपोर्ट स्वयं विरोधाभाषी है जिसमें प्रतिवादी संख्या 09 चिरंजीलाल गोला ठेकेदार गायब है केस डायरी संख्या 05 द्वारा उसे मिली भगत से अभियुक्त के बजाय गवाह बना दिया गया है अवैध वृक्ष कटाई और मिटटी खनन की घटना दिनांक 21–11–2024 को पहले ही हो चुकी थी, ठेकेदार ने कार्यादेश प्राप्त होने से पहले काम शुरू कर दिया जे0सी0बी0 मशीन के सम्बन्ध में कोई उचित जॉच नही की गयी और उसकी भूमिका या स्वामित्व की पुष्टि का प्रयास नही किया गया जो स्पष्टतः जॉच में चूक दर्शाती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभागीय आख्या निम्नवत् है :–

ए– यह कि प्रश्नगत मु0अ0सं0 0341/22–11–2024 को वनरक्षक गोवर्धन रैन्ज प्रभाग

मथुरा द्वारा 05 नामजद अभियुक्तों 1– रविन्द्र 2– सतवीर उर्फ सत्तो 3–नेत्रपाल 4– पुष्पेन्द्र 5– दिगम्बर के विरूद्ध दर्ज कराया गया है।

बी– यह कि **जहॉ तक प्रतिवादीसं0 09 चिरंजीलाल को मुकदमें से गायब किये जाने और गवाह बनाये जाने का प्रश्न है।** इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि प्रश्नगत अपराधिक मुकदमें की विवेचना के **पर्चा–04 के अनुसार–** घटनास्थल, गवाहान की कार्यवाही के लिए सम्बन्धित को धारा–190 के नोटिस तामील कराये गये हैं। याची के चाचा **गवाह चन्द्रभान निवासी स्योबा** द्वारा इस आशय का ब्यान दिया गया कि– **प्रस्तावित खंरजा का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह द्वारा कराया गया था जिसका ठेका चिरंजीलाल गोला को होने** वाला था परन्तु ठेका होने से पहले ही अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख करते हुये कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा राजनीति की हनक दिखाते हुये बिना विभाग की परमीशन के जे0सी0बी0 मंगाकर चकरोड की हद में हरे भरे पेड़ों को जे0सी0बी0 से उखाड़कर चकरोड़ पर मिटटी डाल दी जिसकी सूचना मैने अपने भतीजे देवेन्द्र फौजदार को दी उसने वन विभाग के माध्यम से कार्यवाही करायी है। इस प्रकार विवेचक को प्रतिवादी सं0 09 की कोई संलिप्तता पेड़ों के नुकसान में नही पायी गयी है।

सी– यह कि **पर्चा–05 के अनुसार–** विवेचक द्वारा चिरंजीलाल गोला को नोटिस अन्तर्गत धारा 190 प्रेषित कर ब्यान लिया गया है उसके द्वारा कार्यादेश दिनांक 12–2–2024 की प्रति प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि कथित घटना के समय यह क्लीयर भी नही था कि इस कार्य का ठेका मुझे ही मिलेगा। लेकिन मुझे पता चला है कि आपसी राजनीति से कुछ व्यक्तियों ने जबरदस्ती पेडों को बिना वन विभाग की परमीशन से उखड़वा दिया गया हैं। **पर्चा–06 के अनुसार–** सभी नामजद अभियुक्तों रविन्द्र तथा गॉव के पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र, नेत्रपाल, सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश एवं दिगम्बर सिंह थाना हाजा पर उपस्थित हुये विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के बारे में बताया तो कहने लगे कि–साहब हमें इस मुकदमें की पूरी जानकारी है हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। **इस प्रकार** अभियुक्तगण द्वारा कोई विरोध न किये जाने से स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादीसं0 09 द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की घटना है और गवाहों के द्वारा यह पुष्टि की गयी है कि प्रतिवादी सं0 09 द्वारा ठेकेदारी का कार्य करने से पूर्व की पेड उखाडने की घटना है अतः अन्य किसी जॉच आदि की आवश्यकता नही होने के आधार पर नियमानुसार आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक,
थाना–मगोर्रा, मथुरा।
हरीश चौधरी
थानाध्यक्ष
थाना मगोर्रा (मथुरा)

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को सादर अवलोकनार्थ।

2– क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जनपद मथुरा को सादर अवलोकनार्थ।

प्रभारी निरीक्षक,
थाना–मगोर्रा, मथुरा।
हरीश चौधरी
थानाध्यक्ष
थाना मगोर्रा (मथुरा)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** मथुरा
P.S. (थाना): मगोर्रा **Year (वर्ष):** 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 22/11/2024 22:19

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 21/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 21/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 22/11/2024 Time (समय):22:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 056 Date & Time (दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 11 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम श्योबा ,भाग नैनूपट्टी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं॰):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7595373793

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रवेन्द्र		का नाम : प्रेमसिंह	1. गाँव भदार ,मगोर्रा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	सतवीर उर्फ सत्तो		पिता का नाम : मुखत्यार	1. ग्राम श्यौबा भाग नैनूपट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1. श्यौबा भाग सींगापट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
4	पुष्पेन्द्र		पिता का नाम : नेत्रपाल	1. श्यौबा भाग सींगापट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
5	दिगम्बर		पिता का नाम : हरी सिंह	1. श्यौबा भाग सींगापट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी .... सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनाक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापटटी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रवेन्द्र		का नाम : प्रेमसिंह	1. गाँव भदार ,मगोर्रा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	सतवीर उर्फ सत्तो		पिता का नाम : मुखत्यार	1. ग्राम श्यौबा भाग नैनूपट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1. श्यौबा भाग सीगांपट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
4	पुष्पेन्द्र		पिता का नाम : नेत्रपाल	1. श्यौबा भाग सीगांपट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
5	दिगम्बर		पिता का नाम : हरी सिंह	1. श्यौबा भाग सीगांपट्टी,मगोर्रा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

8.**Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.**Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)**-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.**First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी .... सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनाक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापटटी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमश: 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-

1) व्यास वर्ग के पेड-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापटटी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा सलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापटटी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लधन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिर्पोट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहझील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट मै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शव्द व शव्द टाइप की गयी है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): Ravindra Kumar Yadav **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 972140517 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS Magorra

Rank I (Inspector)

No. 9454403945

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)
(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : जे0एम0 प्रथम महोदय (के न्यायालय में)

1. **District/Unit** (जिला/इकाई): मथुरा
   P.S. (थाना): मगोर्रा   **Year**(वर्ष): 2024
   FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0341   **Date**(दिनाँक): 22/11/2024
2. **Final Report / Charge Sheet No.**(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01
3. **Date**(दिनाँक): 02/01/2025
4. **S.No.   Acts**(अधिनियम)   **Sections**(धाराएँ)

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में	10

5. **Type of Final Form/Report** (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार): आरोप पत्र
6. **If FR Unoccurred** (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):
7. **If Charge sheet** (यदि आरोप पत्र दाखिल किया): मूल

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):972140517

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
कुशलपाल वनसंरक्षक

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal
(क्रं. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) Name रविन्द्र

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Relative's Name(रिश्तेदार का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):972140517

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
कुशलपाल वनसंरक्षक

(b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No (क्रं. सं.)	Property Description (सम्पत्ति का विवरण)	Estimated Value (in Rs.) (अनुमानित मूल्य (रु.में))	Police Station Property Register No. (थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	From whom/ where revered or seized (कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	Disposal (निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) Name रविन्द्र

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Relative's Name(रिश्तेदार का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	गाँव भदार , मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गाँव भदार , मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):
(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं
(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 2
(i) Name सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रक
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): मुखत्यार सिंह

(iii)Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1967
(iv) Sex(लिंग): पुरुष
(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी , मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी , मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known) नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court (न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

 52

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):
(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं
(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 3
(i) Name नेत्रपाल
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1975
(iv) Sex(लिंग): पुरुष
(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):
Father's/Husband's Name
Occupation (व्यवसाय):
Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):
UID Number (यूआईडी सं.):
Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):
(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं
(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :
(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 4
(i) Name पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) Father's Name(पिता का नाम): नेत्रपाल

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002
(iv) Sex(लिंग): पुरुष
(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत
(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्योबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्योबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 5

(i) Name दिगम्बर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): हरी सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1988

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :
(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):
श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्रा) पुत्र श्री साहब सिंह नि0 दौलतपुर वसाऊ थाना नौहझील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु0अ0स0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976 बनाम (1) रविन्द पुत्र प्रेमसिंह नि0 गाव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा के विरूद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि0गण (1) रविन्द पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा के विरूद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि0गण (1) रविन्द (2) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द उर्फ पुष्पराज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 312/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :
(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्रा) पुत्र श्री साहब सिंह नि0 दौलतपुर वसाऊ थाना नौहझील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु0अ0स0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976 बनाम (1) रविन्द पुत्र प्रेमसिंह नि0 गाव भटार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा के विरूद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि0गण (1) रविन्द पुत्र प्रेमसिंह नि0 गाव भटार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा के विरूद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि0गण (1) रविन्द (2) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द उर्फ पुष्पराज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 312/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

17.Refer Notice served नहीं Date(दिनाँक):
(जारी किए नोटिस):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/01/2025

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):
IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सज़ा) :

17. Refer Notice served नहीं Date(दिनाँक):
(जारी किए नोटिस):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/01/2025

19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):
IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख. Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क. Date (दिनांक) :

25ख. Place (स्थान) :

25ग. Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 9454403945

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 972140517